राजस्थान सरकार

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.3(25)नविवि/3/2006 जयपुर, दिनांकः 4 OCT 2013

आदेश

जयपुर विकास प्राधिकरण/जोधपुर विकास प्राधिकरण/राजस्थान आवासन मण्डल/नगर विकास न्यास/नगर निगम/नगर परिषद्/पालिकाओं द्वारा विगत वर्षों में ई.डब्ल्यू.एस, एल.आई.जी. एवं मध्यम वर्ग के मकानों पर मासिक किश्तों का भुगतान समय पर नहीं किये जाने के कारण ब्याज राशि एवं शास्ति में दिनांक 30.09.2013 तक छूट प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान किये गये थे।

चूंकि विभागीय आदेश क्रमांक प.3(54)नविवि/3/2011 दिनांक 26.9.2013 द्वारा दिनांक 30.09.2013 तक प्राप्त आवेदन पत्रों के संबंध में विविध आदेशों के द्वारा अभियान के दौरान विभिन्न विषयों से संबंधित शिथिलताएं, छूटें तथा शक्तियों का प्रत्यायोजन आदि (Relaxations, rebates, delegation of power etc.) दिनांक 31.12.2013 तक प्रभावी होने तथा प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012–13 के दौरान दिनांक 30.09.2013 तक प्राप्त आवेदन पत्रों का दिनांक 31.12.2013 तक आवश्यक रूप से निस्तारण सुनिश्चित किया जाने के संबंध में आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं

अतः आवेदक द्वारा दिनांक 30.09.2013 तक संबंधित निकाय में प्रस्तुत किये गये आवेदनों पर उक्त छूट दिनांक 31.12.2013 तक प्रभावी रहेगी तथा दिनांक 30.09.2013 तक प्राप्त आवेदन पत्रों का दिनांक 31.12.2013 तक आवश्यक रूप से निस्तारण सुनिश्चित किया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वा0 शासन विभाग।
2. निजी सचिव, माननीय संसदीय सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वा0 शासन विभाग।
3. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वा0 शासन विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
5. आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. समस्त जिला कलक्टर...................... (राजस्थान)।
7. संयुक्त शासन सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय)/अधिकारीगण, नगरीय विकास विभाग।
8. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
9. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर समस्त स्थानीय निकायों को सूचित करावें।
11. सचिव, नगर सुधार न्यास.........................(समस्त)
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–तृतीय